FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला

हीरा बनाम नन्दा मृतक के बजाय सोहनीबाई तौर

मुकदमा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 74/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/1/26	वादी हीरा की ओर से अधिवक्ता श्री एन. के. मेहता एडवोकेट एडवोकेट द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 83 आर.टी.ए. के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी में दिनांक 15-3-2007 को प्रतिवादीगण श्री नन्दा पिता रूपा, तथा कालु पिता रूपा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण संख्या 56/2007 दर्ज हुआ पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वाद पत्र शासन उपसचिव कार्मिक (क-4) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार प्रकरण की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला को स्थानान्तरित हुई जिसका प्रकरण संख्या 139/2010 पर दर्ज हुआ जो दिनांक 3-12-2010 को डिक्री हुआ मूल वाद प्रकरण संख्या 139/2010 निर्णय दिनांक 3-12-2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी का बाबत एक पक्षीय डिक्री (Sate Aside) प्रार्थी प्रतिवादीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने हेतु पेश किया गया प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह राठौड़ के द्वारा पेश किया गया, प्रार्थना पत्र को बाद जांच दर्ज कर वादी हीरा पिता सवा डांगी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ इनकी ओर से अधिवक्ता श्री. एन. के. मेहता ने दिनांक 20-3-2024 को उपस्थिति दी गई तथा जवाब हेतु समय चाहा गया वादी के अधिवक्ता ने दिनांक 18-9-202[illegible] को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 [illegible] का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल वकील प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलाई गई। पत्रावली बहस में [illegible] की गई दिनांक 15-10-2025 को वकील प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसकी प्रति वकील वादी हीरा को दिलाई गई। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.03.06 17:32:17 IST
Reason: SelfAttested

14/1/26
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, डूंगला

(8)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	...लिखित बहस पेश पेश करने के पश्चात वकील वादी ने भी लिखित बहस पेश करने का अवसर चाहा गया। दिनांक 17.12.2025 को वादी हीरा की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र दफा 5 मय दफा 5 के जवाब एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम की लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस एवं प्रार्थना पत्र बाबत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब के साथ पेश किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि धारा 5 के प्रार्थना पत्र के निर्णय के उपरान्त ही अन्य प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जावे। लिखित बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 की प्रतियाँ वकील प्रतिवादीगण को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 की एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. की बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात पाया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. बाबत दोनो प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. सी.पी.सी. का एवं धारा 5 परिसीमा दोनो प्रार्थना पत्रों को प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को क्षम्य कर स्वीकार किया जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 139/2010 निर्णय दिनांक 3-12-2010 को अपास्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद प्रकरण संख्या 139/2010 निर्णय दिनांक 3-12-2010 को पुनः सुनवाई में ली जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 15। सी.पी.सी. का मूल वाद प्रकरण के साथ संलग्न हो। पत्रावली [illegible] रजिस्टर में लेकर नम्बर से दर्ज हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.03.06 17:32:17 IST
Reason: SelfAttested